14-11-2025 cause list sdo court rajgarh

1	188	2024/404	जवाब प्रतिवादी	अजय कुमार	रतन सिंह
2	212	2024/405	जवाब प्रतिवादी	अजय कुमार	रतन सिंह
3	53				

अनुप्रार्थी— कानसिंह बनाम सरकार
प्रार्थना पत्र संख्या 03/75/2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

ऑनलाईन नम्बर:— 2025/375 प्रवेश तिथि—09.09.2025

प्रार्थना पत्र संख्या :— 03/75/2025

1. कानसिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपुत निवासी सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर। ....प्रार्थीया

बनाम्

1. मदन सिंह पुत्र अर्जुन सिंह।
2. अर्चना कंवर पुत्री रोहिताश सिंह।
3. उच्छव कंवर पुत्र अर्जुन सिंह।
4. उमा कंवर पुत्र रोहिताश सिंह।
5. कोमल कंवर पुत्र रिहिताश सिंह।
6. देवेन्द्र सिंह पुत्र रोहिताश सिंह।
7. मंजू पुत्री रोहितश सिंह।
8. राम कंवर पुत्री रोहिताश सिंह।
9. सरोज कंवर पुत्री अर्जुन सिंह समस्त जातियान राजपुत निवायान सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर। ....अप्रार्थी
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री भरत सिंह चौहान एड0–प्रार्थी
श्रीमती अल्का सैनी एड0 अप्रार्थी 1–9
तहसीलदार राजगढ –अप्रार्थी–10

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते

दिनांक:—12/11/2025

—:निर्णय:—

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राज0 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 वाके ग्राम सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर आराजी खाता संख्या 3 खसरा नम्बर 92/0.28, 98/0.28 प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई थी। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया की बहीन नाम गुडडी कंवर पुत्री अर्जुन सिंह दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थीया के नाम अन्य रिकार्ड में सरोज कंवर पुत्री अर्जुन सिंह दर्ज रिकार्ड करा लिया है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरुस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सही नाम सरोज कंवर पुत्री अर्जुन सिंह जिसे दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 असालतान वकालतान उपस्थित न्यायालय आये।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

हाजा न्यायालय के पत्रांक क्रमांक कोर्ट / आर.ए. / धारा- 136 / 2025 / 252 दिनांक 09.09.21025 से तहसीलदार राजगढ से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ के पत्रांक क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 1942 दिनांक 09.10.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड आराजी खाता संख्या 3 खसरा नम्बर 92 / 0.28, 98 / 0.28 वाके ग्राम सुरेर तहसील राजगढ में **प्रार्थीया की बहन का नाम गुडडी कंवर पुत्री अर्जुन सिंह** सा0 देह खातेदार दर्ज है। तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट से साबित है कि **सरोज कंवर पुत्री अर्जुन सिंह व गुडडी कंवर पुत्री अर्जुन सिंह एक ही व्यक्ति है।** जिसका सही **जिनका सही नाम सरोज कंवर पुत्र अर्जुन सिंह** होना बताया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 की और से जवाब पेश किया गया जो शामिल मिशल है। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीया के द्वारा चाहा गया अनुतोष प्राप्त किये जाने में हमे कोई एतराज नही है। तथा प्रार्थीया प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकुलाय द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थीया की आराजी खाता संख्या 3 खसरा नम्बर 92 / 0.28, 98 / 0.28 वाके ग्राम सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया की बहन 'का नाम सहवन से गुडडी कंवर पुत्री अर्जुन सिंह गलत दर्ज कर दिया। जिसका सही नाम मुताबिक तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट दिनांक 09.10.2025 सरोज कंवर पुत्र अर्जुन सिंह है। जिसे दुरूस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट दिनांक 09.10.2025 व दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आराजी खाता संख्या 3 खसरा नम्बर 92 / 0.28, 98 / 0.28 वाके ग्राम सुरेर *तहसील राजगढ जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया की बहन नाम गुडडी कंवर पुत्र अर्जुन सिंह दर्ज है उसके स्थान पर सरोज कंवर उर्फ गुडडी कंवर पुत्री अर्जुन सिंह दुरूस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।*

निर्णय आज दिनांक 12 / 11 / 2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते